

4/14

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या...../...../रा०उ०शि०प०/2020उत्तर प्रदेश शासन
27-01-2020

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

संख्या- 271 /सत्तर-3-2020-उ०शि०प०(03)/2015

लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम-1995 (यथा संशोधित) की धारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद में प्रो० गिरीश चन्द्र त्रिपाठी पूर्व कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।

2- मा० अध्यक्ष की सेवा के निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, अधिनियम-1995 (यथा संशोधित) की धारा-7 में विहित हैं। उक्त धारा-7 में विहित व्यवस्था के अनुसार मा० अध्यक्ष का कार्यकाल नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

आर० रमेश कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या- 271(1) /सत्तर-3-2020-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 2 निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 3 प्रो० गिरीश चन्द्र त्रिपाठी पूर्व कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 4 अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उ०प्र०।
- 5 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 10 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 12 निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 14 निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 15 कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 16 अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 17 राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ०प्र० शासन।
- 18 समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 19 समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 20 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।